न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 64 / 2022 / आवेदन अं0 धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

रणवीर सिंह पुत्र हवासिंह जाति जाट हाल निवासी ग्राम दुलापुरा (कांकरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. कमला देवी पत्नि जीवणराम
3. कानाराम पुत्र जीवणराम

जाति जाट निवासीगण मातासुखा हाल निवासी कांकरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

4. संतोश देवी पत्नि रणवीरसिंह
5. चन्द्रकला पत्नि रणवीरसिंह
6. देवव्रत पुत्र रणवीरसिंह
7. मुन्नी पुत्री रणवीरसिंह
8. मुनेश पुत्री रणवीरसिंह
9. सविता पुत्री रणवीरसिंह

जाति जाट निवासीगण डोहकी तह0 चरखीदादरी जिला भिवानी हरियाणा।

10. रामनिवास पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. गोविन्द राम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ग्राम सौलायां तहसील नांवा जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)

उपस्थिति–

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीसंख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक– 28.08.2023

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 383, ख.नं. 384, ख.न. 385, ख.न. 386, ख.न. 396, ख.न. 397 किता 6 रकबा 11.62 है0 वाके ग्राम दुलापुरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तन में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा 1/8 कब्जे, काश्त एवं

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

खातेदारीशुदा है एवं आवेदक अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अन्य परिजनों की भूमि की देखभाल भी प्रार्थी ही करता है। आवेदन में वर्णित कृषि भूमियों के पश्चिम दिशा में सटती हुई अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमियों खसरा नम्बर 1192/1200, 1194, 1195, 1196 वाके ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ़ के आदेश क्रमांक/भू0अ0/1306 दिनांक 09.05.2022 की पालना में पटवारी हल्का कांकरा से दिनांक 22.05.2022 के आवेदन पत्र की मद संख्या मे वर्णित कृषि भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही के दौरान किसी भी पड़ौसी खातेदार न किसी न्यायालय में विचाराधीन विवाद के बारे में नहीं बताया है तथा ना ही प्रार्थी की जानकारी में किसी न्यायालय में कोई वाद या स्थगन विचाराधीन है। प्रार्थी न उक्त अपनी खातेदारी शुदा कृषि भूमि के संबंध में कोई पत्थरगढ़ी हेतु हस्तगत के अलावा अन्य कोई आवेदन माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया है। प्रार्थी संख्या एक से पत्थरगढ़ी कार्यवाही हेतु समुचित रिपोर्ट व जबाब लिया जाकर मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढ़ी कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक व न्याय संगत है। प्रार्थी की वर्णित कृषि भूमि का विधिवत सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थी की वर्णित कृषि भूमि के पड़ौस की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1192/1200, 1194, 1195, 1196 तन कांकरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर है एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 11 उक्त भूमियों के खातेदार होने की वजह से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 383, ख.नं. 384, ख.न. 385, ख.न. 386, ख.न. 396, ख.न. 397 किता 6 रकबा 11.62 है0 वाके ग्राम दुलापुरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पुख्ता सीमा चिन्ह् कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्राथनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्धएक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

3. आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों तथा सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। ग्राम दुलापुरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 383, ख.नं. 384, ख.नं. 385, ख.नं. 386, ख.नं. 396, ख.नं. 397 किता 6 रकबा 11.62 है0 वाके ग्राम दुलापुरा पटवार हल्का कांकरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का कांकरा दिनांक 22.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी सहखातेदारो के साथ खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 22.05.2022 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ